## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 25/2022
अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. रामकिशन पुत्र चुन्नीराम जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
3. गुडडी पत्नी स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
4. मांगीलाल पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
5. कैलाश पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
6. मैना पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
7. मन्जु पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
8. विमला पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
9. कमला पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
10. सुमित्रा पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
11. कलावती पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 19 की 106 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं साबिका ख0न0 32 की 34 बीघा 04 बिस्वा भूमि ख0न0 106 मिन की 25 बीघा भूमि थी। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के साबिका ख0न0 19 मीन की 31 बीघा 12 बिस्वा भूमि हाल ख0न0 50 की 31 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 32 मिन की 12 बीघा 9 बिस्वा भूमि हाल ख0न0 77 की 12 बीघा 11 बिस्वा, 32 मिन की 18 बीघा 17 बिस्वा हाल ख0न0 78 की 18 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 19 मिन की 21 बीघा 02 बिस्वा हाल ख0न0 80 की 20 बीघा 02 बिस्वा, साबिका ख0न0 106 मिन 21 बीघा 12 बिस्वा हाल ख0न0 406 की 24 बीघा 03 बिस्वा भूमि में परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा चुन्नी पुत्री पेमा की थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 244/244 की कुल 23.5[illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। इसलिए रोही मौजा लाखासर तसहील नोहर के खाता स0 244/244 की कुल 23.5860 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/8 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 बहिब 1/8 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 बहिब 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 8 ता 11 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा में अंकित किया की रोही मौजा लाखासर तसहील नोहर के खाता स0 244/244 की कुल 23. 5860 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/9 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेज जमाबंदी रोही मौजा लाखासर सम्वत 2012 ता 15, रोही मौजा लाखासर मिसल बन्दोबस्त, मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी नही करवाने का निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्षकारा[illegible] बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दाद[illegible] में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि [illegible] एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। [illegible]दीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 244/244 की कुल 23.5860 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवबा दावा पेश किया गया है कि रोही मौजा लाखासर तसहील नोहर के खाता स0 244/244 की कुल 23.5860 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/9 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 बहिब 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तसहील नोहर के खाता स0 244/244 की कुल 23.5860 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/9 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 को बहिब 1/9 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 को बहिब 1/9 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 25/2022

अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. रामकिशन पुत्र चुन्नीराम जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
3. गुडडी पत्नी स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
4. मांगीलाल पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
5. कैलाश पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
6. मैना पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
7. मन्जु पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
8. विमला पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
9. कमला पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
10. सुमित्रा पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
11. कलावती पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 25 सन 2022 निर्णय दिनांक** 27/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तसहील नोहर के खाता स0 244/244 की कुल 23.5860 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/9 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 को बहिब 1/9 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 को बहिब 1/9 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर